


पत्रावली प्राप्त। वकील का की अनुपस्थिति। बार-बार  
आवाज लगाई गई। ना तो का की स्वयं उपस्थित  
आया और ना ही उनके वकील उपस्थित आये।  
अतः पत्रावली अवर हाजिरी / अवर पैरवी में  
स्वीकार की जाती है पत्रावली नमूने के रूप में  
होमट वापस देना है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बीदापुर